

रिपोर्ट पटवारी/भू.अ.नि. वृत्त

रिपोर्ट में कि ग्राम कोटिया की जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 का
 151 में जातेदारान का हिस्सा स्पष्ट नहीं है गत जमाबन्दीपत्र
 अंशबन्धन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2034-37 काता सं 78 में
 रामरा सं 166 काप उपोच्युत हि 1/3 की लिखत उईई प्रवे में
 लीन हिस्से एर उपोच्युत, बोदमा, राजाराम के अडकर कि
 के त्वेमान जमाबन्दी काता सं 151 में हिस्सा निम्न प्रकार
 जाना उपरि है। रामलाल पुत्र परसाडी 1/3, बोदमा पुत्र मोहन 1/3
 मोहरमा, बलास्मा, श्रीफूल कि राजाराम 1/3 जाति मीना सा. देह

कार्यालय तहसीलदार हिण्डौन सिटी (करौली)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

अनांक 2079
 पहाण 26/11/17
 पुतादिन रिपोर्ट एर एन सी.एल.जी.सी.
 पहाण का वरान के अडकर जमाबन्दीपत्र नोडिया
 में 2070-73 कादिन जमाबन्दी सं 34-37 काता सं 78 में
 वाद गांच जातेदारान इडा ज रिमान पुत्र परसाडी कि
 बोदमा पुत्र मोहन हि 1/3 एपेनी मोहरमा बलास्मा
 श्रीफूल कि राजाराम हि 1/3 जाति मीना सा. देह जात।
 अच.दे. रिपोर्ट वास्ते अग्रिम कार्य नाकी उपरुत है।

तहसीलदार (करौली)
 हिण्डौन सिटी (करौली)

मि.नं० 20
 4.12.17

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी
आदेश

ई चरनी कार्पेन, सेग्रीगेशन के लिए रा. सं. सं. अधि. 1956
 की चारा 136 के तहत पटवारी एनका की रिपोर्ट एवं तहसीलदार हिण्डौन
 की अभिशंसा क्रमांक 2079 दि. 26.11.17 के आधार पर ग्राम कोटिया की
 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 के काता सं 151 में रामलाल पुत्र परसाडी
 हि. 1/3, बोदमा पुत्र मोहन हि. 1/3, श्रीमौजी, बलास्मा, मोहरमा, श्रीफूल
 पि. राजाराम हि. 1/3 जाति मीना सा. देह दुरुस्त किदे जाने के
 आदेश डिदे जाते है। तहसीलदार उक्तानुसार राजस्य रिपोर्ट में अंश
 करे।

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी